

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राणाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट, निवासी जोरानाडा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर		श्रीमती नेनूदेवी पत्नी दोलाराम जाति जाट, निवासी जोरानाडा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 115 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

14.10.2021

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.11.2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

25.11.21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के कैम्प बमुकाम... में पेश हुई। उम्रपक्ष अनु। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक... को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

21.3.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वादों विप्रार्थीगण के नोटिसों का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 20.4.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव

20.4.22


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिसों के अतिरिक्त रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वादों विप्रार्थीगण का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 8.5.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव



पत्रावली पेश। छापी वहील अनुपस्थित।  
पत्रावली में उम्मावी पैरवी हेतु न्यायालय  
समय में छापी व छापी अधिवक्ता को  
रुके - रुकतेर मावाजे ही जोगे उ बावपुद  
अनुपस्थित। अतः पत्रावली में बोई उम्मावी  
पैरवी नहीं घेने तथ्य छापी व छापी वहील  
के अनुपस्थित रहने पर उम्मा मावेदन  
अदक घजरी व अदक पैरवी में खारिज  
रिफा जाग छै।

पत्रावली नम्बर से कुम घेतेर  
दाखिल दक्तर छै।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) शिव